IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में किन्नर (ट्रांसजेण्डर) शिक्षा : शैक्षिक स्थिति, समस्या और सुझाव

अंकित गंगवार शोध छात्र

दयालबाग एजुकेशनल इंस्टिट्यूट

(डीम्ड विश्वविद्यालय)

आगरा, उत्तर प्रदेश

साराशं

भारतीय संविधान ने भारत में रहने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को समान रुप से आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किये है। शिक्षा का उद्देश्य मानव जाति का विकास करना है। ट्रान्सजेण्डर (किन्नर) मानव जाति का ही अभिन्न अंग है लेकिन फिर आज भी समाज और देश में ट्रांसजेण्डरों को हीनभावना से देखा जाता है। इसीलिए यह आवश्यक एवं महत्वपूर्ण हो जाता है कि ट्रांसजेण्डर को भी शिक्षा दी जाये। ट्रांसजेण्डरों ने अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा समाज, देश और विश्व के समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं। अध्ययनकर्ता ने विभिन्न अध्ययनों की साहित्य समीक्षा की और आकस्मिक रुप से मिले 10 किन्नरों का साक्षातकार लिये, जिसमे उन्होंने अपने जीवन के विभिन्न आयामों पर अपने अलग-अलग विचार साझा किये। अध्ययन में किन्नर समुदाय से सम्बन्धी वर्तमान सामाजिक, शैक्षिक स्थिति पर विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन चर :- किन्नर (ट्रांसजेण्डर), शैक्षिक स्थिति, शैक्षिक समस्या

प्रस्तावना :-

मानव की ऐसी जाति को किन्नर कहते हैं, जो लैंगिक रूप से न तो नर (पुरूष) और न ही मादा (स्त्री) है। यह लोग माता-पिता नहीं बन सकते है। वर्तमान समय में इस मानव जाति को थर्ड जेंडर के नाम से जाना जाता है, जिसे ट्रांसजेंडर भी कहते है।

Transgender दो शब्दों से मिलकर बना है-

Trans + Gender & Trans का अर्थ है उल्टा या अपोजिट तथा Gender का अर्थ होता है लिंग। जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ उल्टा लिंग।

लेकिन असल में ट्रांसजेंडर शब्द का प्रयोग चिकित्सा विभाग में अप्राकृतिक तरीके से लिंग परिवर्तन को ट्रांसजेण्डर कहते है। अर्थात् जन्म के समय लड़का होता है या लड़की परन्तु वह अपना जेंडर चेंज करके लड़की से लड़का या लड़के से लड़की बना जाते है ऐसे लोगों को ट्रांसजेंडर कहते हैं। लेकिन किन्नरों के लिए भी ट्रांसजेण्डर प्रचलन मे है, देखा जाये तो किन्नर (ट्रांसजेण्डर) हमारे समाज का ही एक अभिन्न अंग है लेकिन समाज की संकुचित और रूढ़िवादी सोच के कारण समाज द्वारा इन्हें बहिष्कृत कर दिया जाता है।

भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिये गये हैं, कि कोई भी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेद-भाव नहीं कर सकता। अतः इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्चतम् न्यायालय ने 2014 ट्रांसजेण्डरों को संवैधानिक अधिकार देने का रास्ता साफ कर दिया। जिससे सरकारी नौकरियों में तीसरे लिंग (ट्रांसजेण्डर) के लिए व्यवस्था हुई है। 2015 में केरल ट्रांसजेण्डर विरोधी, भेदभाव पर प्रतिबंध लागाने वाला पहला राज्य था। लेकिन इतने वर्षो के उपरान्त भी सम्पूर्ण देश मे ट्रांसजेण्डर विरोध और भेदभाव पर कोई सर्वमान्य कानून नही बनाया जा सका है। जोकि न्यायसंगत नही कहा जा सकता, हमें किन्नरों के लिए विशेष प्रावधान करने होगें, जिससे उनके प्रति समाज मे हो रहे भेद-भाव को कम किया जा सकें और उन्हे समाज मे समानता मिले। लेकिन समाज द्वारा यह भुला दिया जाता है कि यह लोग भी हमारे समाज एक अभिन्न अंग है। बायलोजिकल कारण से इनमें कुछ लैंगिक असमानतायें आ जाती हैं। समाज को समझना होगा कि जिस प्रकार शरीर के किसी भाग में जख्म या चोट लग जाने पर हम उसकी विशेष देखभाल करते हैं, न कि उस को काट कर हटा देते है। उसी प्रकार इन्हें भी समाज से प्रेम, सहानुभूति की आवश्यकता है। जिससे यह अपने आप को समाज से अलग न समझें। तथा समाज के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें। जिसकी महत्वपूर्ण कड़ी है- शिक्षा । यदि इन लोगों को भी समाज के अन्य व्यक्तियों की तरह शिक्षा का समान अवसर दिया जाये तो यह लोग भी देश, समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते है। वर्तमान में देखने को भी मिल रहा कि कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर, पुलिस, सेना, राजनीतिक, शिक्षा, चिकित्सा, न्यायपालिका आदि क्षेत्रों मं सेवा दे रहे हैं।

भारत में कुछ सफल ट्रांसजेंडर : एक दृष्टि :-

भारत में सफल ट्रांसजेंडर लोगो पर नजर डाले, जिन्होने शैक्षिक, व्यवसायिक क्षेत्र से लेकर राजनीतिक क्षेत्र तक बड़ा मुकाम या स्थान प्राप्त किया है। इन्हीं में से कुछ प्रमुख ट्रांसजेंडर इस प्रकार है।

1. सात्यश्री शर्मिला - यह भारत के प्रथम ट्रांसजेंडर वकील बनें।
2. जोइता मण्डल - भारत के पहले ट्रांसजेंडर न्यायधीश बने
3. पृथ्वी याशिनी - याशिनी भारत की प्रथम ट्रांसजेंडर पुलिस अधिकारी बनें।
4. शाबी - यह पहले ट्रांसजेंडर सैनिक बनें।
5. जिया दास - यह भारत के पहले ट्रांसजेंडर चिकित्सा सहायक बनें।
6. शबनम मौसी - भारत के पहले ट्रांसजेंडर विधायक बनें।
7. कल्कि सुब्रमण्यम - एक्टर, राइटर और आंत्रप्रेन्योर है, साथ ही साथ ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट भी है।
8. एडम हैरी - यह भारत के पहले ट्रांसजेंडर एयर लाइन पायलट बनें।
9. पद्मिनी प्रकाश - यह भारत के पहले ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनें।
10. मंजूनाथ शेट्टी (मंजम्मा जोगती) - नर्तकी मंजम्मा जोगती पद्मश्री से सम्मानित होने प्रथम ट्रांसजेण्डर बनी।

11. मालिनी दास - यह अपने समुदाय की पहली इंजीनियर बने

ऐसे ही अनेकों अनेक ट्रांसजेंडर व्यक्ति है, जिन्होने ने अपने-अपने क्षेत्र मे कार्य कुशलता प्राप्त कर, समाज मे अपनी कार्य प्रसिद्ध प्राप्त की है। ऐसा ही कार्य प्रसिद्ध का वर्णन महाभारत ग्रन्थ मे वर्णित है, जिसमे देखने को मिला है, कि युद्व मे अर्जुन के एक पक्ष (भीष्म पितामाह वध) मे शिखडी (ट्रांसजेंडर) ने अर्जुन को युद्व मे विजय प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आदिकाल मे हुए युद्व मे भी एक ट्रांसजेंडर ने अपनी युद्व क्षमता और समाज मे अपनी आवश्यकता को परिक्षित किया, तो वर्तमान समय मे जब मानव प्रगति की ओर उन्मुख है, तो आधुनिक समय मे ट्रांसजेंडर लोगों की आवश्यकता, क्षमता को नकारा नही जा सकता और न ही उनके (ट्रांसजेंडर) बिना शिक्षित एवं सम्पन्न समाज की कल्पना की जा सकती है। वर्तमान मे विभिन्न ट्रांसजेंडर की कार्यकुशलता, संघर्ष से समाज के कुछ जागरुक तपके के दृष्टिकोण मे परिवर्तन आया है, लेकिन समाज के दृष्टिकोण मे उस स्थिति मे परिवर्तन नही आया है, जहॉ पर ट्रांसजेंडर व्यक्ति समाज मे सामान्य रुप से आम नागरिको की भॉति शिक्षा प्राप्त कर सकें।

भारत में ट्रांसजेण्डर की जनसंख्या का विवरण :-

भारत में हुई अब तक के दशकों में हुई जनगणना एकत्र करते समय तीसरे लिंग (ट्रांसजेण्डर) की कभी मान्यता नहीं दी है, लेकिन 2011 की जनगणना में इनके विवरण को एकत्रित किया गया।

क्र0 सं0	राज्य	ट्रांसजेण्डर संख्या	क्र0 सं0	राज्य	ट्रांसजेण्डर संख्या
1	तमिलनाडु	22364	19	झारखण्ड	13463
2	ओडिशा	20332	20	असम	11374
3	कर्नाटक	20266	21	गुजरात	11544
4	राजस्थान	16517	22	त्रिपुरा	833
5	उत्तर प्रदेश	137465	23	मेघालय	627
6	आन्ध प्रदेश	43769	24	अरूणाचल प्रदेश	495
7	महाराष्ट्र	40891	25	नागालैण्ड	398
8	बिहार	40827	26	मिजोरम	166
9	पश्चिमी बंगाल	30349	27	सिक्किम	126
10	मध्य प्रदेश	29597	केन्द्र शासित प्रदेश		
11	मणिपुर	1343	28	दिल्ली	4137
12	हिमाचल प्रदेश	2051	29	पांडुचेरी	252
13	जम्मू एण्ड कश्मीर	4137	30	चण्डीगढ़	142
14	केरल	3902	31	दमन और दीव	59
15	उत्तराखण्ड	4555	32	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	42
16	छत्तीसगढ़	6591	33	दादर और नगर हवेली	43
17	हरियाणा	8422	34	लक्ष्यद्वीप	02
18	पंजाब	10243			

भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार ट्रांसजेंडर की कुल जनसंख्या 4.88 लाख रही। देश एक पक्ष की इतनी बढ़ी संख्या होने के बाद भी समाज मे वह हीन भावना से देखे जाने के कारण उन्हे समाज से अलग करके रखा गया है। वर्तमान मे हम नैतिकता की दुहाई देते हुए सामाजिक परिवर्तन होने की कोरी कल्पना करते है।

शैक्षिक स्थिति :-

साक्षरता दर की बात करे, तो ट्रांसजेंडर में साक्षरता दर 46 प्रतिशत है जो कि देश की कुल साक्षरता दर 74 प्रतिशत के अनुपात से बहुत कम है। इसका मुख्य कारण है भारत में ट्रांसजेडंरो के लिए औपचारिक शिक्षा लोकप्रिय नहीं है। वे परिवार, समाज आदि के भय, हीनभवना से देखने के कारण स्कूल नहीं जाते या जो जाते भी है वह भय या डर के कारण स्कूल जाना ही बंद कर देते है। विभिन्न रिपोर्टो का विश्लेषण किया जाये तो ट्रांसजेंडर सबसे अशिक्षित या वंचित समुदाय है। अध्ययनकर्ता ने आकस्मिक रुप से मिले 10 किन्नर व्यक्तियों के साक्षत्कार मे पाया कि, अधिकाशं किन्नरों को उनके माता-पिता ने सामाज में अपनी प्रतिष्ठा बचाने के नाम पर उन्हे (किन्नर बच्चों) छोड़ दिया। उन्ही मे से एक किन्नर ने बाताया कि, उसके माता-पिता ने उन्हे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। समय-समय पर घर मे होने वाले कार्यक्रम मे बुलाया भी जाता है, लेकिन सामान्य रुप से समाज की कुप्रथा की वजह से घर नही रखते या रखना पसदं नही करते। इससे यह ज्ञात होता है कि, समाज मे किन्नरों निम्न स्तर की सामाजिक, शैक्षिक स्थिति बनी हुई है। यह स्थिति ऐतिहासिक समय से लेकर वर्तमान समय तक जैसी ही बनी हुई है, इसमे बहुत अधिक परिवर्तन नही आया है। वर्तमान मे जातिगत एवं आर्थिक भेद-भाव पर सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक पटल पर विद्वानजनों के द्वारा प्रखर रुप से विचार दिए जाते है, जबकि किन्नरों के प्रति हो रहे भेद-भाव पर सभी बोलने से कतराते है। इन्ही सभी कारणों के फलस्वरुप किन्नर वर्तमान समय में समाज से अलग-थलग बने हुए है। जिससे उनको सही पालन-पोषण, शिक्षा, रोजगार प्राप्त नही हो पा रहा है।

केरल के कोच्चि शहर में सन् 2016 में देश का पहला ट्रांसजेंडर स्कूल "सहज इंटरनेशनल स्कूल" खोला गया। महाराष्ट्र में गैर-लाभकारी संगठन "श्री महाशक्ति चैरिटेवल ट्रस्ट" किन्नर विद्यालय को 2021 को खोला गया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में देश का पहला ट्रांसजेंडर के लिए विश्वविद्यालय 15 जनवरी 2021 से प्रारम्भ हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में पहली बार लैंगिक समानता के रुप में महिला शिक्षा के साथ ट्रांसजेंडरों की शिक्षा की बात की गई, जिसमें कहॉ गया कि देश की क्षमता विकास करने हेतु लड़कियों के साथ ही ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और न्यायसंगत शिक्षा प्रदान के लिए जेंडर समावेशी निधि का गठन किया जाये। केन्द्र और राज्यों को इसके लिए सुविधाऐं एवं कोष उपलब्ध करायें और परिस्थितिजन्य समस्ययओं का समाधान करने में सहायता प्रदान करें तथा केन्द्र व्यावसायिक शिक्षा स्तर तक लिगं असमानता को समाप्त करने का प्रयास करें। उक्त तथ्यों को विश्लेषण से ज्ञात होता है कि, किन्नरों की शिक्षा के प्रति समाज और सरकार के दृष्किंण मे कुछ परिवर्तन आया है, किन्तु किन्नरों के लिए जो शिक्षण संस्थान खोले गये है, उनकी संख्या किन्नरों की संख्या का प्रतिनिधित्व (शिक्षा के लिए) करने हेतु पर्याप्त नही है। 2016 में केरल में पहला किन्नरों के विद्यालय प्रारम्भ किया गया, जिसके पॉच वर्षो के बाद 2021 मे महाराष्ट्र में चैरिटेवल विद्यालय और उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय प्रारम्भ हुआ। भारत सरकार को आजादी के बाद 75 वर्ष लग गये, तब राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में किन्नरों की शिक्षा मे हेतु स्थान प्रदान किया गया। कही न कही अभी भी किन्नरों की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है, जिससे कि किन्नरों को मुख्यधारा मे ला सकें।

भारत में ट्रांसजेण्डर समुदाय के समक्ष आने वाली समस्यायें :-

- वे परिवार और समाज के द्वारा त्याग दिये जाते हैं।
- ये समझा जाता है कि उनके पास मौलिक अधिकार नहीं है।
- हिंसा, उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार का किया जाना।
- सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन से बाहर रखा गया है।
- इन्हें सार्वजनिक तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोका जाना।
- अपमानजनक नामों पर सर्वनामों से पुकारा जाना।
- ट्रांसजेंडर समुदाय में सुरक्षा के प्रति डर लगा रहना।

सुझाव :-

सरकार द्वारा ट्रांसजेण्डर के प्रति होने वाली हीनभावना को समाप्त करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए तथा उनके लिए अलग से संवैधानिक कानून का निर्माण करना चाहिए, साथ ही उनसे हिंसा, उत्पीड़न करने वाले लोगों की खिलाफ कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता है। ट्रान्सजेण्डर समुदाय की सामान्य शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए पर्याप्त संख्या प्रतिनिधित्व के आधार पर अलग से विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए तथा उनके लिए अलग से छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थानों मे, रोजगार हेतु नौकरियों में तथा राजनीतिक भागीदारी हेतु राजनीतिक प्रतिनिधत्व में अलग से किन्नरों के लिए रिजर्वेशन प्रदान करने की आवश्यकता है और सम्भव हो सकें तो उन्हे सामान्य शिक्षण संसधानों में समावेशित किया जाना चाहिए। किन्नरो को आजीविका के लिए व्यवसास से जोड़ने हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण और वित्तिय सहायता देने की आवश्यकता है, जिससे इनका शैक्षिक विकास के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक विकास भी हो सके।

निष्कर्ष :-

शिक्षा के क्षेत्र मे जब समावेशी शिक्षा की बात करते है, जिसमे महिला-पुरुष, सामन्य विद्यार्थियों, विभिन्न दिव्यागों आदि को एक ही साथ शिक्षा देने की बात करते है, लेकिन कही भी समावेशी शिक्षा मे किन्नर (ट्रांसजेण्डर) लोगों को एक साथ शिक्षा देनी की बात कही नही ही होती है, किन्नरों को सामान्य शिक्षा व्यवस्था मे सम्मिलित किये बिना सामावेशी शिक्षा की संकल्पना अधूरी ही रहेगी। ट्रांसजेण्डर समाज का अभिन्न अंग है। हमें समझना होगा कि जिस प्रकार हम सामान्य बालकों के साथ व्यवहार करते हैं उसी प्रकार तीसरे लिंग के प्रति समान व्यवहार रखा जाये। जबकि समाज के द्वारा उन्होंने समाज से त्याग दिया जाता है और अपमान जनक सर्वनामों से पुकारा जाता है जिससे उनके सम्मान को आघात पहुँचता है। समय-समय पर हमनें देखा है, कि विभिन्न क्षेत्रों में ट्रांसजेण्डर ने अपनी क्षमता का लोहा मनवाया है और समाज व राष्ट्र का मान बढ़ाया है। अतः ट्रांसजेण्डर जीवन के सम्पूर्ण पक्षों के विकास पर समाज और सरकारों को विशेष ध्यान देना चाहिए। अध्ययनकर्ता ने किन्नरों से साक्षात्कार करने पर पाया कि, वह (किन्नर) समाज मे सामान्य व्यक्तियों के जैसे ही शिक्षा प्राप्त करके जीवन व्यतीत करना चाहते है और समाज , देश के प्रति अपने उत्तर-दायित्व का निर्वहन करना चाहते है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- मित्रा, ए.(2017).एजूकेशन इक्वलिटी इन इंडिया : ए रिव्य पेपर फॉर ट्रान्सजेण्डर पॉपुलेशन. इंटरनेशनल जरनल ऑफ ट्रण्ड इन सांइटिफिक रिसर्च एण्ड डेवलपमेण्ट. 2(1). पृष्ठ संख्या. 1578-1583.
- बालू, ए.(2020). कन्फ्रण्ट इशू ऑफ एजूकेशन ऑफ ट्रान्सजेण्डर इन इण्डिया. ग्लोबल जरनल फॉर रिसर्च एनालिसिस. 9(2). पृष्ठ संख्या. 12-13.
- भैना, यू.(2020). ट्रान्सजेण्डर इन इण्डिया : ए स्टडी ऑफ एजूकेशनल स्टेटस एण्ड लीगल राइट्स. इंटरनेशनल जरनल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थाट्स. 8(12). पृष्ठ संख्या. 2375-2386.
- इण्डिया टुडे(2018). 8 इण्डियन ट्रान्सजेण्डर प्यूपल हू व्हेयर द फस्ट इन देयर फील्ड. इण्डिया टुडे. 3 जुलाई 2018.
- दास, पी.(2019). न्यू एजूकेशन पॉलिसी : ट्रान्सजेण्डर टू गेट सेफ, रिलाइबल स्कूल. द न्यू इण्डियन एक्सप्रेस. 31 मई 2019.
- विकिपीडिया(2011). भारत की 2011 की जनगणना. 10 सितम्बर 2018.
- तुलस्यान, ए.(2021). बिल्डिगं मोर इंक्लूसिव, वेल्कमिगं स्कूल फॉर एलजीबीटी चिल्ड्रन. द इण्डियन एक्सप्रेस. 26 सितम्बर 2021.
- लैगं, एन.(2019). इण्डिया ओपन्स ग्राउण्डब्रेकिंग स्कूल टू प्रोवाइड फ्री एजूकेशन टू ट्रान्सजेण्डर प्यूपल. थीम. 6 जुलाई 2021.
- सिंह, बी.(2019). ये ट्रान्सजेण्डर सामाजिक अनुरुपता के सभी अवरोध तोड़ने में सफल रहे है. इण्डिया टाइम्स. 27 अक्टूबर 2019.
- नस्तार, एम. एस.(2021). हिजड़ा क्या होता है. कुलहैया न्यूज. 13 नवम्बर 2021.
- रुप, एन. पी.(2014). ट्रान्सजेण्डर स्टूडेण्ट्स इन हायर एजूकेशन : एन.आई.पी.ए. स्टडी ऑफ एक्यपीरियेंस एण्ड एक्सेस ऑफ ट्रान्सजेण्डर स्टूडेण्ट्स. मेसाचुसेट्स : नार्थइस्टर्न यूनीवर्सिटी बोस्टन. पृष्ठ संख्या. 101-105.
- जेहन, जे.(2017). स्टडी ऑन ह्यूमन राइट्स ऑफ ट्रान्सजेण्डर अस ए थर्ड जेण्डर. दिल्ली : केरला डेवलपमेण्ट सोसायटी. पृष्ठ संख्या. 9-16.
- लक्ष्मीपती, एस.(2019). क्वालिटी ऑफ लाइफ : ए स्टडी ऑफ इण्डियन साइकोलॉजी. 7(2). पृष्ठ संख्या. 571-574.
- मोहम्मद, आर.(2015). ट्रान्सजेण्डर एण्ड ह्यूमन राइट ऑफ डेवलपमेण्ट इन इण्डिया, रिपोर्ट ऑन इंटरनेषनल कांग्रेस ऑन ह्यूमन राइट एण्ड ड्यूटीस.